

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एम-350/2011)(लिंक नं. 9786)/अलेसे-11/2577 दिनांक:- 26.02.18

कार्यालय आदेश

श्रीमती माधवी भटनागर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, (मेरिट नं 350/2011, लिंक नं.- 9786) कार्यालय संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जोधपुर (ग्रामीण) को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

- | | |
|---|---------|
| (i) दिनांक 25.01.2016 | 01 दिवस |
| (ii) दिनांक 22.02.2016 से 23.02.2016 तक | 02 दिवस |
| (iii) दिनांक 22.03.2016 | 01 दिवस |
| (iv) दिनांक 05.06.2017 से 09.06.2017 तक | 05 दिवस |

कुल 09 दिवस

उक्त कुल 09 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्रीमती माधवी भटनागर की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एम-350/2011)(लिंक नं. 9786)/अलेसे-11/2577 दिनांक:- 26.02.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जोधपुर (ग्रामीण) को उनके पत्र क्रमांक 989 दिनांक 29.01.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमती माधवी भटनागर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जोधपुर (ग्रामीण)।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)